अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2018 जगदीश राय पुत्र दुलाराम निवासी वार्ड नं. 10 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जगदीश स्वयं उपस्थित नहीं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से जवाब/प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2018 पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है, जो पहले से ही शामिल पत्रावली है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2017 को प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है और प्रार्थना की गई है उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी जगदीश राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. **वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव (14वीं विधानसभा) में श्रीगंगानगर जिले के प्रत्येक विधानसभावार प्रत्याशियों को कितने–कितने वोट मिले की प्रमाणित प्रतिलिपि।**
2. **वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव (14वीं विधानसभा) में विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर व रायसिंहनगर से कौन सदस्य निर्वाचित हुए तथा किस पार्टी से सम्बन्धित है, के विजयी प्रत्याशियों को जारी किये गये निर्वाचित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।**
3. **लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर किस जाति/वर्ग के लिए आरक्षित है।**

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 7760 दिनांक 15.01.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र के द्वारा चाही गई सूचना इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है :

संलग्न उपरोक्तानुसार

1. डाक टिकट पंजिका
2. भारत राजपत्र दिनांक 27 जून 2008
3. प्रारूप 21 ड़ (राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 1–सादुलशहर के लिए निर्वाचन)
4. प्रारूप 21 ड़ (राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 02–गंगानगर के लिए निर्वाचन)
5. प्रारूप 21 ड़–(03)करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव–2013 के लिए निर्वाचन की विवरणी
6. प्रारूप 21 ड़–(05) रायसिंहनगर (अनुसूचित जाति) निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन
7. प्रारूप 21 ड़–(04) सूरतगढ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन
8. प्रारूप 21 ड – अनूपगढ–06 (अ.जा.) से आम चुनाव 2013
9. प्रारूप 22 (नियम 66) – निर्वाचन का प्रमाण पत्र सोनीी देवी
10. प्रारूप 22 (नियम 66) – निर्वाचन का प्रमाण पत्र कामिनी जिंदल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।

चूंकि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से 14वीं विधानसभा से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित चाही थी, जिसके सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2018 द्वारा सूचित किया है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। लोक सूचना अधिकारी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के पास जिस रूप में सूचना उपलब्ध थी, उसी रूप में अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना पाया जाता है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी का आदेश दिनांक 15.01.2018 सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञान

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर